145

न्यायालय :– माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्र.क. /2011 निगरानी R-1668-III/2011

1. भगवान सिंह तनय नारायण सिंह
2. नारायण सिंह तनय अर्जुनसिंह ठाकुर

निवासीगण ग्राम टीकमगढ़ हाल निवासी पुलिया, तह: भोंठ जिला झाँसी उ.प्र. म.प्र.

––आवेदकगण

बनाम

हरिशचन्द्र सिंह उर्फे हनुमनसिंह तनय नारायण सिंह निवासी जंगबहादुर की बगिया, टीकमगढ़, तह. टीकमगढ़ जिला टीकमगढ़ म.प्र.

––अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 न्यायालय आयुक्त सागर संभाग सागर के प्रक. 236/ अपील /07–08 में पारित आदेश दिनांक 25–07–11 के विरुद्ध निगरानी प्रस्तुत।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से निगरानी निम्न प्रकार पेश है :–.

निगरानी के संक्षेप्त में तथ्यः–

1. यह कि, प्रकरण का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि, ग्राम लक्ष्मनपुरा में स्थित भूमि खसरा नं. 390 से लगायत 410 एवं 413, 414, 415, 416, 530, से लगायत 544 कुलकिता 41 कुल रकवा 11.084 है. भूमि आवेदक एवं अनावेदक के संयुक्त खाते की थी जिसका बटवारा किये जाने हेतु अनावेदक हरिशचन्द्र द्वारा आवेदन पत्र म.प्र. भू. रा. सं 1959 की धारा 178 के तहत तहसीलदार टीकमगढ़ के न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसपर तहसीलदार द्वारा अपने न्यायालय में प्र.क.1/अ–27/04–05 को दर्ज किया गया तथा प्रकरण में मनमाने ढ़ंग से कार्यवाही करते हुए एवं अवेदकगणों को गलत पते पर फर्जी तामील का आधार मानकर एकपक्षीय रूप से दिनांक 09–02–2005 को वटवारा आदेश पारित कर दिया जिससे दुखित होकर अवेदक द्वारा एक अपील एस. डी. ओ. टीकमगढ़ के न्यायालय में प्रस्तुत की गई जो कि

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1668/तीन/2011 जिला– टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
9-2-17	यह निगरानी आवेदक द्वारा कमिश्नर, सागर संभाग, सागर के प्रकरण क्रमांक 236/अ–27/2007–08 में पारित आदेश दिनांक 25.07.2011 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण का सारांश यह है कि अनावेदक हरीशचन्द्र सिंह उर्फ हनुमत सिंह पुत्र श्री नारायण सिंह द्वारा म0प्र0 भू–राजस्व संहिता की धारा 178 के अन्तर्गत बंटवारा हेतु आवेदन–पत्र तहसीलदार टीकमगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया था कि उभयपक्षों के मध्य संयुक्त स्वामित्व एवं मालिकाना हक की ग्राम लक्ष्मणपुरा स्थित कृषि भूमियॉ कुल किता 41, कुल रकवा 11.084 हैक्टेयर का बंटवारा किया जाये। तहसीलदार टीकमगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.02.2005 से फर्द बंटवारा स्वीकृत किया गया। तहसीलदार टीकमगढ़ के उक्त आदेश के विरूद्ध भगवानसिंह आदि द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, टीकमगढ़ के समक्ष प्रस्तुत की गयी, जो पारित आदेश दिनांक 24.06.2008 को अवधि वाह्य मानकर निरस्त कर दी गयी। इस आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील कमिश्नर, सागर संभाग, सागर के समक्ष प्रस्तुत की गयी, जो पारित आदेश दिनांक 25.07.2011 से निरस्त कर दी गयी। इसी आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गयी है। 3– निगरानी मैमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभयपक्ष के अभिभाषको के तर्क सुने तथा उनकी ओर से प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया गया।	

4— आवेदक अभिभाषक ने तर्को में बताया कि विचारण न्यायालय तहसीलदार टीकमगढ़ द्वारा आवेदकगण को सुनवाई का अवसर दिये बिना आदेश पारित किया गया है। ,प्रकरण में आदेश आवेदकगण के तथाकथित सूचना–पत्र के आधार पर पारित किया गया है, जबकि वास्तविक रूप से उपरोक्त सूचना–पत्र आवेदकगण को प्राप्त ही नहीं हुए। विचारण न्यायालय द्वारा बंटवारा नियमों का पालन किए बिना आदेश पारित किया है, जो नितान्त, अवैध एवं अनुचित होने से निरस्ती योग्य है। अन्त में वर्तमान निगरानी स्वीकार किये जाने तथा अधीनस्थ न्यायालयों को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

5— अनावेदकगण पूर्व से एकपक्षीय हैं, ऐसी स्थिति में अभिलेख के आधार पर आदेश पारित किया जा रहा है।

6— आवेदकगण, अभिभाषक द्वारा किये गये तर्को एवं अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार टीकमगढ़ द्वारा सूचना–पत्र जारी किये जाने का कोई आदेश नहीं दिया है। सूचना–पत्र प्रारूप क, ख के अन्तर्गत जारी किये गये हैं। अभिलेख में पृष्ठ क्र.19 पर आवेदक भगवानसिंह का सूचना–पत्र लगा हुआ है, जिसमें तारीख पेशी दिनांक 27.12.2004 का उल्लेख है, जबकि पेशी दिनांक 27.12.2004 को सूचना–पत्र जारी किये जाने का आदेश ही नहीं है पृष्ठ क्र.19 पर संलग्न सूचना–पत्र में हनुमत सिंह के हस्ताक्षर बने हैं। लेकिन गवाही के कोई हस्ताक्षर नहीं है। इसके अलावा जो सूचना पत्र पृष्ठ क्र.21 पर लगा हुआ, उसमें गवाह भगवानदास के हस्ताक्षर बने है, जबकि भगवानदास का पता अथवा कोई पहचान का कोई उल्लेख नहीं है। आवेदक भगवानसिंह, टीकमगढ़ में निवास नहीं करते बल्कि ग्राम पुलिया झॉसी उत्तर प्रदेश में निवास करते है और उन्हें उक्त निवास, स्थान पर कोई सूचना–पत्र जारी ही नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में जिस तथाकथित सूचना–पत्र के आधार पर एकपक्षीय कार्यवाही की गयी है, वह विधिवत एवं उचित नहीं है। जहॉ

अनुविभागीय अधिकारी, टीकमगढ़ के आदेश का प्रश्न है, तो वह मात्र परिसीमा के बिन्दु पर पारित किया गया है। जबकि परिसीमा के संबंध में धारा 5 का आवेदन–पत्र एवं शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया था। जिस पर विचार किये बिना आदेश दिनांक 24.06.2008 पारित किया है। जो प्रकरण के गुण–दोषों पर नहीं होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। कमिश्नर, सागर संभाग, सागर द्वारा अपने आदेश में यह उल्लेख किया है कि तहसीलदार टीकमगढ़ द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर आदेश पारित किया था, वह विधिवत है। जबकि वास्तविक रूप से आवेदकगण को तहसील न्यायालय द्वारा सूचना–पत्र जारी ही नहीं किये गये और ऐसी स्थिति में तथाकथित सूचना–पत्र के आधार पर जो कार्यवाही की गयी है, वह अपने स्थान पर उचित एवं सही नहीं है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

7– उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर कमिश्नर, सागर संभाग, सागर के प्रकरण क्रमांक 236/अ–27/2007–08 में पारित आदेश दिनांक 25.07.2011 एवं अनुविभागीय अधिकारी, टीकमगढ़ द्वारा प्रकरण क्रमांक 27/2005–06 में पारित आदेश दिनांक 24.06.2008 तथा तहसीलदार टीकमगढ़ द्वारा प्रकरण क्रमांक 1/अ–27/2004–05 में पारित आदेश दिनांक 09.02.3005 त्रुटिपूर्ण होने से अपास्त किये जाते है।

सदस्य